इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2024—माघ 18, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024

क्रमांक CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT)(06) : मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20—क की उपधारा (1—ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवसाईयों को अधिसूचित करती है, जिनके **वर्ष 2021—2022 तथा 2022—2023** के कर निर्धारण के मामले मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) के अधीन लंबित हैं तथा यह निर्देश देती है कि वेट अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 13 तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 की धारा 13 के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियमों के तहत् उनका कर निर्धारण निम्नलिखित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कर दिया गया समझा जाएगा अर्थात :—

1. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो वेट अधिनियम, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम के अधीन देय कर/उपकर के भुगतान के पश्चात् वेट अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किसी भी तेल कम्पनी से या किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से मध्यप्रदेश राज्य के भीतर पेट्रोल, डीजल और कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस, के क्रय पश्चात् उनके रिटेल आउटलेट्स हों (जिन्हें सामान्य रूप से पेट्रोल पम्प कहा जाता है)।

2. अधोलिखित रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी इस अधिसूचना के तहत् पात्र नहीं होंगे –

(क) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में वर्ष 2021–2022 तथा 2022–2023 के लिए कर अपवंचन का पता लगा हो।

(ख) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अधीन वर्ष 2021–2022 / 2022–2023 के लिए कर की अतिरिक्त राशि के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा इस अपेक्षा का पालन आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व नहीं किया गया हो।

(ग) ऐसे व्यवसाई जिनके मामलों में कर संपरीक्षा के दौरान वेट अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन वर्ष 2021–2022 / 2022–2023 के लिए सूचना जारी कर दी गई हो तथा आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व इस अपेक्षा का पालन नहीं किया गया हो।

(घ) ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियमों के अधीन संलग्न फार्म में किसी प्रकार की वापसी का दावा किया गया हो।

3. **आवेदन प्रस्तुत किया जाना :–** मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का 74), मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (कमांक 11 सन् 2018) तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (कमांक 12 सन् 2018) के अधीन पात्र व्यापारियों द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न फार्म क, फार्म ख, फार्म ग एवं फार्म घ में वर्षवार एवं अधिनियमवार पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

4. **आवेदन प्रस्तुत करने की समय–सीमा** : पात्र व्यापारियों द्वारा, इस अधिसूचना के संलग्न फार्म में, जो भी लागू हो, आवेदन इस अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

5. **कर निर्धारण अधिकारी :–** आवेदन, उस उपयुक्त कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिसके समक्ष **वर्ष 2021–2022 / 2022–2023** के कर निर्धारण प्रकरण लंबित होंगे।

6. **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :–**

(क) संबंधित वर्ष के लिए भुगतान किए गए कर तथा ब्याज की रकम के, यदि कोई हो, भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति।

(ख) प्रत्येक व्यापारी जिसका संबंधित वर्ष 2021–2022 अथवा 2022–2023 में टर्न ओव्हर रूपये दो करोड़ से अधिक है, वह आयकर के प्रयोजन के लिए तैयार की गई संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि पहले ही प्रस्तुत नहीं की गई हो, प्रस्तुत करेगा।

(ग) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन (प्रारूप–सी/एफ/ई–1/ई–2/एच/आई) कर में छूट तथा कर की रियायती दर के लिए विहित घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र, उनकी सूची के साथ मूल प्रति में संलग्न किए जाएंगे।

7. **अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अधीन कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा :–**

(क) यदि कर निर्धारण अधिकारी, जिसके समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे अपूर्ण पाता है अथवा गणना के संबंध में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह आवेदक को सुनवाई का **एक अवसर** प्रदान करेगा।

(ख) यदि यथापूर्वोक्त कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाएगा और सुनवाई की तारीख नियत की जाएगी तथा आवेदक को संसूचित किया जाएगा।

(ग) आवेदक, त्रुटियों को यदि कोई हों, दूर करेगा और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। त्रुटियों के सुधार के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी आवेदन स्वीकार करेगा और उस का कर निर्धारण किया गया समझा जाएगा।

(घ) यदि व्यापारी सुनवाई हेतु नियत तारीख को अनुपस्थित रहता है या त्रुटि नहीं सुधारी जाती है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसकी सूचना व्यापारी को भेजी जाएगी।

(ड़) आवेदन को स्वीकार किए जाने की सूचना आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजी जाएगी। उपरोक्त वर्णित अवधि के भीतर व्यापारी को संसूचना नहीं दिए जाने की दशा में, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।

(च) संलग्न फार्म में प्रस्तुत आवेदन पत्रों के साथ अतिरिक्त रूप से जमा योग्य राशि के भुगतान के प्रमाण स्वरूप चालानों की प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएं।

(छ) आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अधिसूचना के क्रियान्वयन के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जा सकेंगे।

प्रारूप—क

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अधीन वर्ष 2021—2022/2022—2023 (जो भी लागू हो) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....के अधीन आवेदन

(कर निर्धारण अवधि ....)

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी,

....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता		: ....
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक		: ....
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन आलोच्य अवधि के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हॉ" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें।		हॉ/नहीं
4.	ऐसे नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक		
5.	ग्रास टर्नओवर		
6.	कटौतियाँ		
	(क)	पृथक से प्रभारित भाड़ा या परिदान या संस्थापन व्यय की राशि	
	(ख)	नगद छूट की राशि	
	(ग)	छह माह के भीतर विक्रय वापसी की राशि	
	(घ)	कर मुक्त घोषित किए गए माल की विक्रय राशि	
	(ड़)	प्रदेश के बाहर विक्रय/ब्रांच ट्रांसफर की राशि के साथ (एफ फार्म तथा सूची संलग्न करें)	
	(च)	अंतर्राज्यीय विक्रय राशि	
	(छ)	भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय	
	(ज)	प्रान्त के भीतर एस.ई.जेड. इकाई को विक्रय (साक्ष्य सहित)	
	(झ)	अन्य कटौतियाँ (विवरण एवं साक्ष्य दें)	
		कुल कटौतियाँ (क से झ तक)	

7.	कर योग्य (टर्नओवर) (5–6)	

8.	कर योग्य कुल राशि (टर्नओवर) की दर के अनुसार वर्गीकरण		
	कर की दर	कर योग्य विक्रय	देय कर
	33 प्रतिशत		
	29 प्रतिशत		
	23 प्रतिशत		
	19 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	कुल योग		

9.	आगत कर में छूट का अभिशून्यन (रिवर्सल) (स्वयं के द्वारा उपयोग किया गया, वाष्पीकरण इत्यादि)		
	कर की दर	अभिशून्यन हेतु कय राशि	रिव्हर्सल की गयी आगत कर की राशि, जिसका अभिशून्यन किया गया।
	33 प्रतिशत		
	29 प्रतिशत		
	23 प्रतिशत		
	19 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	कुल योग		

10.	धारा 9–कक के अधीन अतिरिक्त कर		
	अतिरिक्त कर प्रति लीटर	कुल विक्रय (लीटर में)	देय अतिरिक्त कर
	4.50 रूपए		
	2.50 रूपए		
	3.00 रूपए		
	1.50 रूपए		
	कुल योग		

11.	धारा 9–कक के अंतर्गत अतिरिक्त कर में आगत कर छूट का अभिशून्यन (रिवर्सल) (स्वयं के द्वारा उपयोग किया गया, वाष्पीकरण इत्यादि)		
	अतिरिक्त कर प्रति लीटर	अभिशून्यन हेतु कय राशि (लीटर मे)	अतिरिक्त कर में आगत कर की राशि,जिसका अभिशून्यन किया गया
	4.50 रूपए		
	2.50 रूपएं		
	3.00 रूपए		
	1.50 रूपए		
	कुल योग		

	कुल कर दायित्व	
12.	कुल योग (8+9+10+11)	

13.	आगत कर रिबेट की गणना		
	दर /अतिरिक्त कर प्रति लीटर	आगत कर हेतु क्रय राशि/क्रय मात्रा (लीटर मे)	आगत कर रिबेट
	33 प्रतिशत		
	29 प्रतिशत		
	23 प्रतिशत		
	19 प्रतिशत		
	14 प्रतिशत		
	4.50 रूपए प्रति लीटर		
	2.50 रूपए प्रति लीटर		
	3.00 रूपए प्रति लीटर		
	1.50 रूपए प्रति लीटर		
	कुल योग		

14.	क.	वर्ष 2020–2021 के कर निर्धारण आदेश/अपील आदेश/न्यायालयीन आदेश द्वारा वर्ष 2021–2022 हेतु अग्रणीत आगत कर रिबेट की राशि (वर्ष 2021–2022 हेतु आवेदन पर लागू)	(आदेश की प्रति संलग्न करें)
	ख.	वर्ष 2021–2022 के कर निर्धारण आदेश/अपील आदेश/न्यायालयीन आदेश द्वारा वर्ष 2022–2023 हेतु अग्रणीत आगत कर रिबेट की राशि (वर्ष 2022–2023 हेतु आवेदन पर लागू)	(आदेश की प्रति संलग्न करें)
15.	**कुल योग (13+14)**		
16.	केन्द्रीय विक्रय कर के विरूद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि		: ....
17.	वर्ष 2022–23 /वर्ष 2023–24 के लिए अग्रणीत आगत कर रिबेट की राशि		
18.	**वेट के विरूद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि (15)–(16+17)**		
19.	**शेष देय कर राशि (12–18)**		
20.	धारा 18 (4) (क) के अधीन ब्याज की राशि (यदि देय हो)		: ....
21.	धारा 18 (4) (ख) के अधीन शास्ति की राशि (यदि देय हो)		: ....
22.	**शेष देय कर, ब्याज एवं शास्ति की कुल राशि (19+20+21)**		: ....
23.	चालानों द्वारा जमा राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)		: ....
24.	टी.डी.एस. प्रमाण पत्रों की राशि (टी.डी.एस. प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करें, यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया हो)		: ....
25.	वापसी समायोजन आदेश की राशि (आर.ए.ओ. क्रमांक)		: ....
26.	**जमा राशि का योग (23+24+25)**		: ....
27.	**शेष अतिरिक्त मांग (22–26)**		: ....
28	आवेदन के समय जमा की गई राशि (पंक्ति क्र. 27 के अनुपालन में चालान नम्बर एवं दिनांक)		: ....

मैं ....का प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/ कर्ता (एचयूएफ) .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान :

हस्ताक्षर : ....

फर्म का नाम : ....

प्रारूप—ख

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन वर्ष 2021—22/2022—23 की अवधि (जो भी लागू हो) के लिए कर निर्धारण प्रकरण में अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ....के अधीन में आवेदन

(कर निर्धारण अवधि ....)

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी

....

1.	व्यापारी का नाम एवं पता			
2.	(टिन) करदाता का पहचान क्रमांक			
3.	क्या धारा 18 की उपधारा (5) या धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन आलोच्य अवधि के संबंध में किसी अवधि के लिए नोटिस जारी किया गया था यदि "हॉ" तो नोटिस की प्रतिलिपि संलग्न करें।		हॉ/ना	
4.	ऐसी नोटिस के अनुपालन का विवरण तथा दिनांक			
5.	सकल अन्तर्राज्यीय विक्रय			
6.	कटौतियाँ			
	(क)	पश्चातवर्ती विक्रय (सूची के साथ प्ररुप सी/ई—1/ई—2, संलग्न करें)		
	(ख)	अन्य कटौतियाँ (उसके विवरण एवं साक्ष्य दें)		
		कुल कटौतियाँ		
7.	कर योग्य विक्रय (5—6)			
8.	**कर योग्य विक्रय का दर अनुसार विभाजन**			
	अ.क्र.	विवरण	विक्रय टर्न ओवर	
	01.	"सी" फार्म घोषणा पत्रों पर विक्रय (सूची अनुसार)		
	02.	बिना "सी" फार्म घोषणा पत्रों के विक्रय		
9.	**कुल कर योग्य विकय**			
10.	**कर योग्य विकय पर देय कर की राशि**			
	अ.क्र.	वस्तु का विवरण	टर्न ओव्हर	कर दर	कर
11.	वेट अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अनुसार ब्याज की राशि (यदि देय हो)			
12.	वेट अधिनियम की धारा 18की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार शास्ति की राशि (यदि देय हो)			
13.	कुल देय कर, ब्याज एवं शास्ति (10+11+12) का योग			
14.	वेट अधिनियम से केन्द्रीय विक्रय कर के विरूद्ध समायोजित आगत कर रिबेट की राशि			
15.	चालान द्वारा जमा की गई राशि (यदि पूर्व में जमा की गई हो)			
16.	वापसी समायोजन आदेश की राशि (आर.ए.ओ. क्रमांक)			
17	योग (14+15+16)			
18.	शेष अतिरिक्त मांग (13—17)			
19.	आवेदन के समय जमा की गई राशि (चालान नम्बर एवं दिनांक विनिर्दिष्ट करें)			

मैं .... प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता(एचयूएफ) .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर : ....

फर्म का नाम :

प्रारूप-ग

मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 के अधीन वर्ष 2021-22 /2022-23 (जो भी लागू हो) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण की अधिसूचना क्रमांक ------- दिनांक ---------- के अधीन

आवेदन पत्र

(कर निर्धारण अवधि ....)

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी

....

1. व्यवसाई का नामः

2. पता :

3. टिनः

4. मोटर स्पिरिट की बिक्री का सकल आवर्त

5. पंजीकृत डीलर, जिससे मोटर स्पिरिट क्रय किया गया है, का विक्रय मूल्य, इस शर्त के साथ कि, बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर द्वारा उक्त आवर्त पर देय उपकर अदा कर दिया है।

6. मोटर स्पिरिट का आवर्त (यदि पंक्ति 5 में सम्मिलित नहीं हो) -

(एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर

(दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में

(तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में

(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को की गई बिक्री।

7. कोई अन्य कटौती

8. मोटर स्पिरिट का कर योग्य आवर्त [(4) - (5+6+7)]

9. वह दर जिस पर उपकर अदा किया जाना है

10. देय उपकर की राशि

11. देय ब्याज

12. देय शास्ति

13. देय अन्य राशि

14. कुल देय राशि [10+11+12+13]

15. चालान द्वारा जमा की गई राशि

16. चालान का विवरण-

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि
			योग	

17. वापसी समायोजन आदेश की राशि

18. शेष अतिरिक्त मांग की राशि [14- (15+16+17)]

19. आवेदन के साथ जमा की गई राशि (पंक्ति क्र 18 के अनुपालन में चालान नम्बर एवं दिनांक)

मैं .... प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता (एचयूएफ) .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान

दिनांक हस्ताक्षर : ....

फर्म का नाम : ....

प्रारूप-घ

मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 के अधीन वर्ष 2021-22 /2022-23 (जो भी लागू हो) की अवधि के लिए कर निर्धारण प्रकरण की अधिसूचना क्रमांक ------- दिनांक ---------- के अधीन आवेदन पत्र

(कर निर्धारण अवधि ....)

प्रति,

कर निर्धारण अधिकारी

....

1. व्यवसाई का नाम:

2. पता :

3. टिन:

4. हाई स्पीड डीजल की बिक्री का सकल आवर्त

5. पंजीकृत डीलर, जिससे हाई स्पीड डीजल क्रय किया गया है, का विक्रय मूल्य, इस शर्त के साथ कि, बिक्री करने वाले पंजीकृत डीलर द्वारा उक्त आवर्त पर देय उपकर अदा कर दिया है।

6. हाई स्पीड डीजल का आवर्त (यदि पंक्ति 5 में सम्मिलित नहीं हो) -

(एक) मध्य प्रदेश राज्य के बाहर

(दो) अंतरराज्यीय व्यापार के अनुक्रम में

(तीन) भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में

(चार) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 की केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28) के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई को की गई बिक्री।

7. कोई अन्य कटौती

8. हाई स्पीड डीजल का कर योग्य आवर्त [(4) - (5+6+7)]

9. वह दर जिस पर उपकर अदा किया जाना है

10. देय उपकर की राशि

11. देय ब्याज

12. देय शास्ति

13. देय अन्य राशि

14. कुल देय राशि [10+11+12+13]

15. चालान द्वारा जमा की गई राशि

16. चालान का विवरण-

क्रमांक	अवधि	चालान क्रमांक	चालान दिनांक	राशि
			योग	

17. वापसी समायोजन आदेश की राशि
18. शेष अतिरिक्त मांग की राशि [14- (15+16+17)]
19. आवेदन के साथ जमा की गई राशि (पंक्ति क्र 18 के अनुपालन में चालान नम्बर एवं दिनांक)

मैं .... प्रोपरायटर/भागीदार/डायरेक्टर/कर्ता (एचयूएफ) .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य है।

स्थान

दिनांक हस्ताक्षर : ....

फर्म का नाम : ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2024

क्र.–CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच(CT).–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT–4–2–0001–2024–Sec-1-पांच(CT)(06), दिनांक 7 फरवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal the 7th February 2024

No. CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT)(06) : In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1-B) of Section 20-A of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No.20 of 2002), the State Government, hereby, notifies that the assessments of the registered dealers for the cases of year 2021-22 and year 2022-23,pending under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (Act No 74 of 1956), Madhya Pradesh Motor Spirit UpkarAdhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) and Madhya Pradesh High Speed Diesel UpkarAdhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018),shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1) of section 20 of the Madhya Pradesh VAT Act 2002, Section 9 of the Central Sales Tax Act 1956, Section 13 of the Madhya Pradesh Motor Spirit UpkarAdhiniyam 2018 and Section 13 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel UpkarAdhiniyam, 2018, subject to following requirements, restrictions and conditions, namely:-

1. The registered dealers shall be the retail outlets (commonly known as Petrol pumps) of only such Petrol, Diesel and Compressed Natural Gas, which are purchased after payment of tax/cess under the Madhya Pradesh VAT Act, The Madhya Pradesh Motor Spirit UpkarAdhiniyam and the Madhya Pradesh High Speed Diesel UpkarAdhiniyam from any of the oil companies notified under sub section (2) of Section 9 of the Madhya Pradesh VAT Act or from any other registered dealer in the State of Madhya Pradesh.

2. Following registered dealers shall not be eligible under this notification –

   (a) The dealers in whose cases tax evasion has been detected for the year2021-2022 and 2022-2023.

   (b) The dealers in whose cases notice has been issued for additional amount of tax under clause (b) of sub-section (5)of section 18 of the VAT Actfor the year2021-2022 / 2022-2023and compliance has not been done before submission of application.

   (c) The dealers in whose cases notice has been issued under sub-section (6) of section 19 of the VAT Act for the year2021-2022/ 2022-2023, after Tax Audit and compliance has not been done before submission of application.

   (d) In case any kind of refund under the Acts, is claimed in the appended form, for the relevant year.

3. **Submission of Application:-** An application shall be submitted separately in Form-A, B, Cor Dappendedto this notification under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002, (No. 20 of 2002), Central Sales Tax Act, 1956 (Act No 74 of 1956), Madhya Pradesh Motor Spirit UpkarAdhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) and Madhya Pradesh High Speed Diesel UpkarAdhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018).

4. **Time limit for submission of the application**:An application in the appended forms shall be submitted by the eligible dealer within 60 days from the publication of this notification.

5. **Assessing officer**: Application shall be submitted to the appropriate Assessing Officer before whom the assessment case for theyear2021-22 / 2022-23 is pending.

6. **Documents to be enclosed with the application:-**

(a) A copy of challan in proof of payment of amount of tax and interestif any, paid for relevant year.

(b) Every dealer whose turnover during the year2021-2022 or 2022-2023exceeds Rs.2 crore shall submit an audit report, if not submitted already, prepared by the Chartered Accountant for Income Tax purpose.

(c) The declaration prescribed for exemption of tax and concessional rate of tax under the Central Sales Tax Act (Form-C/F/E-1/E-2/H/I) shall be enclosed along with thelist.

7. **Procedure to be followed under which assessment shall be deemed to have been made:-**

(a) If the assessing officer, before whom an application is submitted, finds it incomplete or any error in respect of calculation is detected, he shall provideone opportunity of hearing to the applicant.

(b) If any error as aforesaid is found, a show cause notice shall be issued after recording the reasons thereof and the date of hearing shall be fixed and communicated to the applicant.

(c) The applicant shall rectify the error, if any, and file the documents. After the removal of error the competent officer shall accept the application and thereupon assessment shall be deemed to have been made.

(d) If the dealer remains absent on the date fixed for hearing or the error is not removed, the application shall be rejected and intimation thereof shall be sent to the dealer.

(e) The intimation for acceptance of the application shall be sent within 30 days from the date of application. In case communication within above mentioned period is not given to the dealer, it shall be presumed that his application has been accepted.

(f) With the appended application form, copy of the Challan as proof of payment of the additional demand shall be attached mandatorily.

(g) Appropriate instructions for the implementation of the notification may be issued by the Commissioner, Commercial Tax.

FORM-A

Application underthe Notification no.---------------- dated-----------
for the assessment case of year 2021-2022 / 2022-2023 (whichever is applicable)under Madhya Pradesh VAT Act, 2002

(Assessment Period..............)

To,

The Assessing Officer,

1		Name and address of Dealer	
2		(TIN) Taxpayers Identification No	
3		Whether a notice under sub-section(5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any periodin relation to the relevant year. If "Yes" then attach copy of notice.	Yes/No
4		Description and date of compliance of such notice	
5		Gross turnover	
6		Deductions:-	
	(a)	Cost of freight or delivery or installation separately charged.	
	(b)	Amount of cash discount	
	(c)	Amount of sales return within six months.	
	(d)	Amount of sale of goods declared tax free.	
	(e)	Sales outside the State/amount of branch transfer.(Attach F form along with list)	
	(f)	Amount of InterState sales	
	(g)	Sales in the course of export out of the territory of India.	
	(h)	Sales to SEZ unit inside the State (with evidence)	
	(i)	Other deductions (give particulars and evidence)	
		Total deductions (a to i)	
7		Taxable Turnover (5-6)	

8.	**Rate wise classification of taxable turnover**		
	Rate of tax	Taxable Sales	Tax payable
	33 percent		
	29 percent		
	23percent		
	19 percent		
	14 percent		
	Total		

9.	Reversal of Input tax rebate (including evaporation and self used)		
	Rate	**Purchase amount for Reversal**	**ITR for which reversal done.**
	33 percent		
	29 percent		
	23 percent		
	19 percent		
	14 percent		
	Total		

10.	Additional tax under Section 9-AA		
	Additional tax per liter	Total Sales (in liter)	Payable Additional tax
	Rs. 4.50		
	Rs. 2.50		
	Rs. 3.00		
	Rs. 1.50		
	Total		

11.	Reversal of Input tax rebate of Additional tax under Section 9-AA (including evaporation and self used)		
	Rate	**Purchase for Reversal (in liter)**	**ITR for which reversal done.**
	Rs. 4.50		
	Rs. 2.50		
	Rs. 3.00		
	Rs. 1.50		
	Total		

12.	Total Tax Liabilities	
	Total (8+9+10+11)	

13.	Calculation of input tax rebate		
	Rate/ Additional tax per liter	**Purchase amount for input tax rebate / purchase in liter**	**Input tax rebate**
	33 percent		
	29 percent		
	23 percent		
	19 percent		
	14 percent		
	Rs. 4.50		
	Rs. 2.50		
	Rs. 3.00		
	Rs. 1.50		
	Total		

14.	a.	Carry forwarded Input tax rebate for year 2021-2022 in assessment order/ Appeal order/ Court order for year 2020-2021 (applicable for application given for year 2021-2022).	(attach copy of the order)
	b.	Carry forwarded Input tax rebate for year 2022-2023 in assessment order/ Appeal order/ Court order for year 2021-2022 (applicable for application given for year 2022-2023).	(attach copy of the order)
15.	Total (13+14)		
16.	Amount of Input tax rebate adjusted against Central Sales Tax		
17.	Amount of Input tax rebate carriedover for the year 2022-2023 / year 2023-2024		
18.	Amount of Input tax rebate adjusted again VAT (15) - (16+17)		
19.	Remaining amount payable (12 - 18)		
20.	Amount of interest (if payable) according to section 18(4)(a)		
21.	Amount of penalty (if payable) according to section 18(4)(b)		
22.	Total amount of tax, interest and penalty payable (19+20+21)		
23.	Amount deposited by challan (if deposited previously)		
24.	Amount of TDS Certificates (Attach original copies of TDS Certificates, if not submitted earlier.)		
25.	Amount of refund adjustment order (RAO No.)		
26.	Total amount deposited (23+24+25)		
27.	Remaining additional demand (22-26)		
28.	Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 27)		

I,---
Proprietor/Partner/Director/ Karta (HUF) of ---
hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place: **Signature** --

Date: **Name of Firm** --------------------------------

FORM-B

Application under the Notification no. ---------------- dated -----------
for the assessment case of year 2021-2022 / 2022-2023 (whichever is applicable)under Central Sales Tax Act.

(Assessment Period..............)

To,

The Assessing Officer,

1	Dealer's name and address				
2	TIN(Taxpayers Identification No)				
3	Whether a notice under sub-section (5) of section 18 or sub-section (6) of section 19 was issued for any period in relation to the relevant year. If "Yes" then attach copy of notice.		Yes/No		
4	Description and date of compliance of such notice				
5	GrossInterState sales				
6	Deductions				
	a	Subsequent sales (attached Form C and E-1/E-2 along with list)			
	b	Other deductions (give details and evidence thereof)			
		Total deductions:			
7	**Taxable sales** (5-6)				
8	**Rate wise classification of taxable sales**				
	Description		**Sales turnover**		
	1	Sales against 'C' Form declarations (as per list)			
	2	Sales without 'C' Form declaration			
9	**Total taxable turnover**				
10	**Payable tax on taxable turnover**				
	Sr. No.	**Description of Goods**	Taxable Sales	Tax Rate	Tax Payable
11	Amount of interest (If payable) as per clause (a) of sub-section (4) of section 18 of VAT Act.				
12	Amount of penalty (If payable) as per clause (b) of sub-section (4) of section 18 of VAT Act.				
13	Total Tax payable, interest thereon and penalty, (10+11+12)				
14	Amount of Input tax rebate adjusted against the Central Sales Tax from VAT Act.				
15	Amount deposited by challan (if deposited previously)				

16	Amount of refund adjustment (RAO no.)	
17	Total (14+15+16)	
18	Remaining additional demand (13-17)	
19	Amount deposited at the time of application (specify challan: number and date)	

I,--

Proprietor/Partner/Director/ Karta (HUF) of --

hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature ---------------------------------------

Date: Name of Firm --------------------------------

FORM-C

Application under the Notification no. ---------------- dated ----------- for the assessment case of year 2021-2022 / 2022-2023 (whichever is applicable)under Madhya Pradesh Motor Spirit UpkarAdhiniyam, 2018.

(Assessment Period..............)

To,

The Assessing Officer,

---

1. Dealer's Name:

2. Address:

3. TIN:

4. Gross turnover of sales of Motor Spirit :

5. Turnover of Motor Spirit at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to condition that the selling registered dealer has paid Cess on such sale price.

6. Turnover of Motor Spirit (If not included in Sr. No. 5.) :

(i) Outside the state of Madhya Pradesh

(ii) In the course of interstate trade

(iii) In the course of export of the motor sprit out of India

(iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005)

7. Any Other deduction

8. Taxable turnover of sales of Motor Spirit [(4)-(5+6+7)]

9. Rate at which cess payable.

10. Amount of Cess payable

11. Interest payable

12. Penalty payable

13. Any other Amount payable

14. Total Amount payable [10 + 11 + 12 + 13]

15. Amount paid by challan.

16. Description of challan

S. No.	**Period**	**Challan Number**	**Challan Date**	**Amount**
			Total	

17. Amount of refund adjustment order

18. Amount of demand to be paid [14 - (15 + 16 + 17)]

19. Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 18)

I,---

Proprietor/Partner/Director/ Karta (HUF) of ---

hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature ---

Date: Name of Firm ---------------------------------

FORM-D

Application under the Notification no. ---------------- dated ----------- for the assessment case of year 2021-2022 / 2022-2023 (whichever is applicable)under Madhya Pradesh High Speed Diesel UpkarAdhiniyam, 2018.

(Assessment Period..............)

To,

The Assessing Officer,

---

1. Dealer's Name:

2. Address:

3. TIN:

4. Gross turnover of sales of High Speed Diesel

5. Turnover of High Speed Diesel at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to condition that the selling registered dealer has paid cess of such sale price

6. Turnover of High Speed Diesel (If not included in Sr. No. 5.)

   (i) Outside the state of Madhya Pradesh

   (ii) In the course of interstate trade

   (iii) In the course of export of the High Speed Diesel out of India

   (iv) Made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act No. 28 of 2005)

7. Any Other deduction

8. Taxable turnover of sales of High Speed Diesel [(4)-(5+6+7)]

9. Rate at which Cess payable.

10. Amount of Cess payable

11. Interest payable

12. Penalty payable

13. Any other Amount payable

14. Total Amount payable [10 + 11 + 12 + 13]

15. Amount paid by challan.

16. Description of challan

S. No.	Period	Challan Number	Challan Date	Amount
			Total	

17. Amount of refund adjustment order

18. Amount of demand to be paid [14 - (15 + 16 + 17)]

19. Amount deposited at the time of application (Challan number and date in compliance of row no. 18)

I,---

Proprietor/Partner/Director/ Karta (HUF) of ---

hereby verify that the above facts are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Signature ---------------------------------------

Date: Name of Firm --------------------------------

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

VANDANA SHARMA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.